कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

दूरभाष क्र. 07782-222414, फैक्स- 07782-226820 E-mail : dfobastar@yahoo.co.in

क्र./मा.चि./2846 जगदलपुर, दिनांक 23/08/2017

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

विषय :— Diversion of forest land for non- forest purpose under forest Conservation Act, 1980 proposed for Laying optical fibre cable from Jagdalpur to Bhanpuri in Bastar District Chhattisarh, area - 0.669 ha. regarding.

संदर्भ :—
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र कमांक/1052–A दिनांक 20.07.2017।
2. आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/व.त.अ./2348 दिनांक 02.05.2017।
3. General Manager, Relince Jio Information Limited 4th flor offce No. 401-405 Ambuja Mal, Raipur Chhattisgarh का पत्र क्रमांक/145 दिनांक 21.08.2017।

—::00::—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक–1 के संबंध में निवेदन है कि जगदलपुर से भानपुरी तक दूरी 39.48 कि.मी. ,चौड़ाई 0.50 मीटर एवं गहराई 1.65 मीटर रकबा 0.699 हे. वनभूमि/राजस्व वनभूमि में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदनकर्ता General Manager, Reliance Jio Infocomm Limited Raipur C.g. द्वारा प्रस्ताव में कमियों/त्रुटियों की पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव आवेदक द्वारा दिनांक 21.08.2017 को इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :—

1. प्रस्ताव में 0.250 हे. राजस्व वनभूमि शामिल है, राजस्व वनभूमि का खसरा बी–1 एवं मानचित्र संलग्न किया गया है।
2. प्रस्ताव के साथ संलग्न ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र पृष्ठ क्रमांक 60,61,63,65,66,67,68,69 में वन परिक्षेत्र, ओ.एफ.सी. की लंबाई एवं क्षेत्रफल की जानकारी उल्लेख किया गया है।
3. डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण कार्य में लगाये गये पिल्लर का फोटोग्राफ संलग्न है।
4. आवेदक द्वारा अवैध रूप से खोदई के संबंध में पी.ओ.आर. की कार्यवाही को आन लाईन में प्रविष्टि किया गया है।
5. बस्तर परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1428 पी में दिनांक 30.03.2017 को रात्रि में अवैध रूप से लंबाई 380.00 मी. ,चौ. 0.80 मी. एवं गहराई 1.50 मी. रकबा 0.030 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने हेतु नाली खुदाई किया गया है। इस संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी बस्तर सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत् उनके खिलाफ पी.ओ. आर. क्. 4326/20 दिनांक 30.03.2017 पंजीबद्ध किया गया है। उनके द्वारा पुनः कक्ष क्रमांक 1428 पी में दिनांक 08.04.2017 को अवैध रूप लंबाई 230.00 मी. चौ. 0.80 मी. एवं गहराई 1.40 मी. रकबा 0.018 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने हेतु नाली खुदाई किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत् उनके खिलाफ पी.ओ. आर. क्. 4326/21 दिनांक 08.04.2017 पंजीबद्ध किया गया है तथा पी.ओ.आर. क्. 4326/20 की मुआवजा महसूल की राशि रू. 31608/– एवं पी.ओ.आर. क्. 4326/21 की मुआवजा महसूल की राशि रू. 40013/– मनी रसीद कमशः क्. 14197/40 एवं क्. 14197/41 दिनांक 22.06.2017 द्वारा कुल रू. 77621/– आवेदक राशि जमा कर राजीनामा किया गया है। स्थल में कोई वृक्ष नहीं काटे गये है। वर्तमान में कोई कार्य नहीं हो रहा है। उक्त कार्यवाही से संबंधित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
6. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक के संदर्भित में दिये गये निर्देशानुसार वन संरक्षण अधिनियम के उल्लघंन हेतु 0.048 हे. के दुगुने क्षेत्र 0.096 हे. नारंगी क्षेत्र बोड़ाडोगरी (बोड़नपाल) में दाण्डिक वैकल्पक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है तथा दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि रू. 57621/– निर्धारित की गई है। प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति उपरांत पुनरीक्षित प्रस्ताव 3 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार
प्रस्ताव मूलतः 3 प्रतियों में।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

कमशः—2

पृ.क्र./मा.चि./2847 जगदलपुर, दिनांक 23/08/2017

प्रतिलिपि :—

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02. मेसर्स General Manager, Relince Jio Information Limited 4th flor offce No. 401-405 Ambuja Mal, Raipur Chhattisgarh की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर जगदलपुर